बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक – ह0क0सह0– (योजना / सी0एफ0सी0)–08 / 2016 पटना, दिनांक–

प्रेषक,

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, (ले0 एवं ह0),
बिहार, पटना।

द्वारा– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार*

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

विषय :– **हस्तकरघा सामान्य सुविधा केन्द्र की योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में हस्तकरघा सामान्य सुविधा केन्द्र का निर्माण / स्थापना एवं मशीन उपस्कर की खरीद / अधिष्ठापन हेतु राज्य योजना मद से राशि रू0 650.00 लाख (छः सौ पचास लाख रूपये) मात्र की स्वीकृति।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक बाजार की जरूरत के अनुसार अधिक मूल्य के कपड़ों का समग्र रूप से उत्पादन और विपणन में हस्तकरघा बुनकरों की सहायता करने तथा उन्हें वस्त्र बुनाई से संबंधित बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु नौ जिलों यथा गया, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर, बांका, पटना, औरंगाबाद, रोहतास एवं कैमूर में हस्तकरघा सामान्य सुविधा केन्द्र का निर्माण / स्थापना तथा मशीन उपस्कर की खरीद / अधिष्ठापन हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्य योजना मद से 650.00 लाख (छः सौ पचास लाख) रूपये मात्र की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की है।

2. हस्तकरघा सामान्य सुविधा केन्द्र का कार्यान्वयन / संचालन प्राथमिक बुनकर सहकारी समिति के माध्यम से किया जायेगा जो विगत दो वर्षों में लाभ प्राप्त किया हो।

3. हस्तकरघा सामान्य सुविधा केन्द्र का स्थापना / निर्माण 3000 वर्गफीट भूखण्ड में किया जायेगा।

4. हस्तकरघा सामान्य सुविधा केन्द्र के कार्यान्वयन / संचालन हेतु उन्हीं समितियों का चयन किया जायेगा जिन्हें पूर्व में केन्द्र या राज्य प्रायोजित योजना के तहत इस प्रकार का लाभ प्राप्त न हो।

5. हस्तकरघा सामान्य सुविधा केन्द्र का निर्माण / स्थापना जिलों के वैसे हस्तकरघा कलस्टर में किया जायेगा जहाँ वस्त्र मंत्रालय द्वारा हस्तकरघा साझा सुविधा केन्द्र स्वीकृत / स्थापित नहीं है।

6. योजना के कार्यान्वयन हेतु जिलावार आवंटित राशि परिशिष्ट–'क' के अनुसार हस्तकरघा सामान्य सुविधा केन्द्र का निर्माण / स्थापना तथा मशीन एवं उपस्कर की खरीद / अधिष्ठापन मद में मदवार राशि का व्यय किया जायेगा।

7. हस्तकरघा सामान्य सुविधा केन्द्र के भवन का निर्माण / स्थापना तथा मशीन एवं उपस्कर की खरीद / अधिष्ठापन वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित / स्वीकृत नक्शा (परिशिष्ट– 'ख') के अनुसार किया जायेगा।

8. बुनकरों के हित को ध्यान में रखते हुए सामान्य सुविधा केन्द्र के संचालन हेतु जिले के चयनित प्राथमिक बुनकर सहकारी समिति के साथ एकरारनामा हस्ताक्षर किये जायेंगे। संबंधित एकरारनामा महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र एवं चयनित प्राथमिक बुनकर सहकारी समिति के बीच होगा।

9. जिलावार स्वीकृत हस्तकरघा सामान्य सुविधा केन्द्र एवं आवंटित राशि का विवरण निम्न प्रकार है–

(राशि लाख में)

क्र0 सं0	जिला का नाम	हस्तकरघा सामान्य सुविधा केन्द्र की सं0	निर्माण मद में आवंटित राशि	मशीन एवं उपस्कर मद में आवंटित राशि	कुल
1	गया	2	70.00	30.00	100.00
2	खगड़िया	1	35.00	15.00	50.00
3	कटिहार	1	35.00	15.00	50.00
4	भागलपुर	1	35.00	15.00	50.00
5	बांका	2	70.00	30.00	100.00
6	पटना	2	70.00	30.00	100.00
7	औरंगाबाद	2	70.00	30.00	100.00
8	रोहतास	1	35.00	15.00	50.00
9	कैमूर	1	35.00	15.00	50.00
	कुल	**13**	**455.00**	**195.00**	**650.00**

10. हस्तकरघा सामान्य सुविधा केन्द्र के दैनिक कार्य–कलापों का संचालन, पर्यवेक्षण एवं प्रबंधन तथा प्री–लूम, ऑन लूम एवं पोस्ट लूम हेतु बुनकरों के चयन की पूर्ण जवाबदेही चयनित प्राथमिक बुनकर सहयोग समिति की होगी। जिसकी स्वीकृति समिति की निर्वाचित प्रबंधकारिणी में ली जायेगी। समय–समय पर संबंधित जिला के महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा हस्तकरघा सामान्य सुविधा केन्द्र के सफल संचालन का स्थल निरीक्षण किया जायेगा।

11. हस्तकरघा सामान्य सुविधा केन्द्र का उपयोग व्यावसायिक, निजी लाभ या अन्य किसी गैर बुनाई कार्य के लिए नहीं किया जायेगा।

12. मुख्य शीर्ष 4851 ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 796, उप शीर्ष 0103– रेशम–भवन, विपत्र कोड P4851007960103, विषय शीर्ष 5301 मुख्य निर्माण कार्य/मुख्य शीर्ष 4851 ग्राम तथा लघु उद्योगो पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 103 हथकरघा उद्योग, उप शीर्ष 0105 हथकरघा उद्योग–भवन, विपत्र कोड P4851001030105 विषय शीर्ष 5301 मुख्य निर्माण कार्य/मुख्य शीर्ष 2851 ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 103 हथकरघा उद्योग, उप शीर्ष 0103– हस्तकरघा विकास की योजना, विपत्र कोड P2851001030103 विषय शीर्ष 5201 मशीन एवं उपस्कर।

13. स्वीकृत राशि का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संबंधित जिला के महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र होंगे, जो राशि संबंधित जिला के जिला कोषागार से एक मुश्त अग्रिम के रूप में निकासी कर योजना का कार्यान्वयन करायेंगे तथा व्यय के पश्चात् प्राप्त दस्तावेज के आधार पर विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण–पत्र महालेखाकार को उपलब्ध करायेंगे।

14. प्रस्ताव पर स्थायी वित्त समिति की स्वीकृति संचिका संख्या ह0क0सह0 (यो0/सी0एफ0सी0)–08/2016 के पृष्ठ– 43/टि0 पर दिनांक 15.03.2017 को प्राप्त है।

15. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना होंगे तथा वे इस योजना का अनुश्रवण/समीक्षा करेंगे। योजना क्रियान्वयन के लिए निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम द्वारा अलग से दिशा–निर्देश जारी किया जायेगा।

16 प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, उद्योग का अनुमोदन प्राप्त है।

17. यह राज्यादेश संचिका संख्या ह0क0सह0 (यो0/सी0एफ0सी0)– 08/2016 के पृष्ठ–53/टि0 पर दिनांक 23.03.2017 को प्राप्त आंतरिक वित्तीय सलाहकार के सहमति से निर्गत किया जा रहा है, जिसका डायरी संख्या– 56/OSD दिनांक 23.03.2017 है।

18. वित्त विभागीय पत्रांक 7355/वि0 (2), दिनांक 05.10.2007 के आलोक में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन,

ह0/–
सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– ह0क0सह0– (योजना/सी0एफ0सी0)–08/2016 पटना, दिनांक–
प्रतिलिपि– महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, गया/खगड़िया/कटिहार/भागलपुर/बांका/पटना/औरंगाबाद/रोहतास/कैमूर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– ह0क0सह0– (योजना/सी0एफ0सी0)–08/2016 पटना, दिनांक–
प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, गया/खगड़िया/कटिहार/भागलपुर/बांका/पटना/औरंगाबाद/रोहतास/कैमूर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– ह0क0सह0– (योजना/सी0एफ0सी0)–08/2016 पटना, दिनांक–
प्रतिलिपि– वरीय लेखा पदाधिकारी, हस्तकरघा एव रेशम निदेशालय, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– ह0क0सह0– (योजना/सी0एफ0सी0)–08/2016 1188 पटना, दिनांक– 23/03/2017
प्रतिलिपि– वित्त विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना/अपर निदेशक (तक0), हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना/आय–व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय/बजट पदाधिकारी, प्रशाखा–1(स0), उद्योग विभाग/योजना शाखा, उद्योग विभाग को पाँच प्रतियों मे एवं आई0टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ह०क०ह०(उ०/ सी०एफ०सी०)१/2016

परिशिष्ट–ख

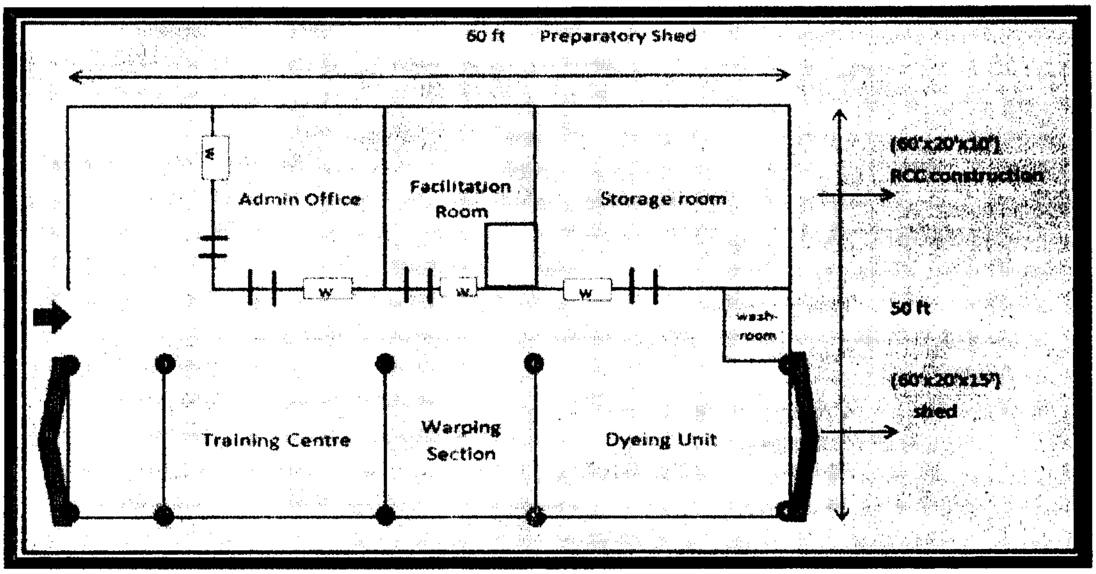

Design Layout of the CFC :-

Sl No.	Particular	Area	Unit
1.	Admin Office	150	Sqft.
2.	Covered Hall	300	Sqft.
3.	Storage Room	400	Sqft.
4.	Warping Section	300	Sqft.
5.	Dyeing Unit	500	Sqft.
6.	Facilitation Room	450	Sqft.
7.	Open Passage Area	300	Sqft.
8.	Sanitation (toilet + washroom)	500	Sqft.
9.		100	Sqft.
		3000	

Common Facility Center: Project cost and model Layout

Total Project Cost		
Sl No.	**Particular**	**Estimated cost (Rs. in lakh)**
1.	RCC Construction (Construction area of 1200 sqft. @ 1400 per sqft.)	19.00
2.	Shed Construction (Construction area of 1800 sqft. @ 700 per sqft.)	16.00
3.	Machinery + other equipments including open vat dyeing unit (20Kg/day)	15.00
	Total	**50.00**

Sl No.	Particular	Estimated cost (Rs. in lakh)
1.	Admin Office	**1.50**
A	Table, Chairs (100), Almira (4), Computer, Printer, Internet Connection, Fan, Telephone + Fax, Xerox etc.	
2.	Raw material godown (Racks, weighing balance etc.)	**1.50**
3.	Preparatory Sheds	**4.00**
A	Vertic at warping machine	0.50
B	Bobbin winding machine	0.25
C	Computerised Punching machine	2.50
D	Hank making machine	0.15
E	Furniture	0.60
6	Training room/weaving shed	**2.00**
7	Open vat dyeing unit with ETP	**5.00**
8	MFA (Generator, Water supply, borewell etc.)	**1.00**
	Total	**15.00**

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार पटना।

उ0 का0 सं0 (मे0/ सी0 एफ0 सी0) 8/2016

परिशिष्ट–क

राज्य योजना के अन्तर्गत हस्तकरघा सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना/निर्माण, उपलब्ध भवन की मरम्मति तथा मशीन उपकरण का क्रय हेतु जिलावार राशि का आवंटन।

वित्तीय वर्ष 2016–17

क्र0	जिला का नाम	कार्यान्वयन पदा0	हस्तकरघा सामान्य सुविधा केन्द्र के भवन पर व्यय हेतु		मशीन एवं अन्य उपकरण पर व्यय हेतु	कुल राशि (राशि लाख में)
			मुख्य शीर्ष 4851 ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 796, उप शीर्ष 0103– रेशम–भवन, विपत्र कोड P4851007960103, विषय शीर्ष 5301 मुख्य निर्माण कार्य (राशि लाख में)	मुख्य शीर्ष 4851 ग्राम तथा लघु उद्योगो पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 103 हथकरघा उद्योग, उप शीर्ष 0105 हथकरघा उद्योग–भवन, विपत्र कोड P4851001030105 विषय शीर्ष 5301 मुख्य निर्माण कार्य (राशि लाख में)	मुख्य शीर्ष 2851 ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 103 हथकरघा उद्योग, उप शीर्ष 0103– हस्तकरघा विकास की योजना, विपत्र कोड P2851001030103 विषय शीर्ष 5201 मशीन एवं उपस्कर (राशि लाख में)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	गया	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र	5.00	65.00	30.00	100.00
2.	खगड़िया	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र	–	35.00	15.00	50.00
3.	कटिहार	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र	–	35.00	15.00	50.00
4.	भागलपुर	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र	–	35.00	15.00	50.00
5.	बांका	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र	35.00	35.00	30.00	100.00
6.	पटना	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र	–	70.00	30.00	100.00
7.	औरंगाबाद	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र	–	70.00	30.00	100.00
8.	रोहतास	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र	–	35.00	15.00	50.00
9.	कैमूर	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र	–	35.00	15.00	50.00
		कुल राशि	**40.00**	**415.00**	**195.00**	**650.00**

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार पटना।

CFC (B)-5

16